कार्यालय महालेखाकार(आर्थिकएवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), तमिलनाडु,
लेखापरीक्षा भवन,361, अण्णासालै, तेनामपेट, चेन्नै-600 018.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ECONOMIC & REVENUE SECTOR AUDIT), TAMILNADU, 'LEKHA PARIKSHA BHAVAN', 361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI 600 018.

No.285 AG (E&RSA)/Legal cell/2017–18 **Dated 14-09-2017.**

CIRCULAR No.01

Sub: Compliance to CCS (Conduct) Rules, 1964 and Code of Ethics by all the Staff members of this office - reg

Periodical circular instructions from the Administration section have emphasised the need to strictly adhere to the norms prescribed in the Code of Ethics and CCS (Conduct) Rules, 1964 by the staff members. Time and again the same had been reiterated in the Quarterly Workshop and other Conferences to follow the norms prescribed in Code of Ethics and CCS (Conduct) Rules, 1964.

Recently the CAG's Auditing Standards have also been revised from April, 2017. All the members are required to abide by these Auditing Standards and apply them conscientiously while auditing for achieving the mission of promoting accountability, transparency and good governance of the Department.

Para 1.4.3 of the Standards envisages that the fundamental principles of ethics are integrity, independence, objectivity and impartiality, confidentiality and competence. The Standard requires to ensure transparency and legality of the operations of the Department and to actively promote ethical behaviour throughout the organization.

A comprehensive statement of values and principles has been enumerated in Code of Ethics and the new Auditing Standards 2017 have been uploaded in the web site of this office URL (http://www.agtn.cag.gov.in/AGaudit2) for your reference.

Government of India, Department of Personnel & Training has also felt that Ethics and Values of Civil Services play a vital role in our present environment/modern scenario and hence Rule 3 of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 was amended during 2014 to incorporate the need for Ethics and Values of Civil Services, the expected standards of the Civil Services and provide for accountability to ensure good governance and better delivery of services to citizens of the country.

In view of the above, it is once again reiterated that all the officials of this office are required to strictly adhere to the instructions and guidelines while performing their duty so that Public Auditing is viewed upon with trust and confidence.

Ramonia
14/9/2017

Deputy Accountant General/Admn.

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), तमिलनाडु,
लेखापरीक्षा भवन, 361 अण्णा सालई, तेनामपेट, चेन्नई-600018.

परिपत्र- 01

स. 285मले(आ. व रा.क्षे.लेप.)/कानूनी कक्ष/2017–18 दिनांक 14.09.2017

विषय: इस कार्यालय के सभी कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय सिविल सेवाएं(आचरण)नियमावली, 1964 और आचार संहिता का अनुपालन - के संबंध में ।

प्रशासन अनुभाग से आवधिक परिपत्र अनुदेश में सभी कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय सिविल सेवाएं(आचरण)नियमावली, 1964 में निर्धारित मानकों को सख्ती से अनुपालन करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाता है । तिमाही कार्यशालाओं और अन्य सम्मेलनों में समय-समय पर केंद्रीय सिविल सेवाएं(आचरण)नियमावली, 1964 में निर्धारित मानकों का अनुपालन दोहराया जाता है ।

हाल ही में अप्रैल 2017 से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों में संशोधन किया गया है । जवाबदेही, पारदर्शिता और विभाग के सुशासन को बढ़ावा देने के मिशन को प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करते समय इन लेखापरीक्षा मानकों का पालन करना सभी कर्मचारियों से अपेक्षित है और इन्हें शुद्ध अंतःकरण से लागू करना चाहिए ।

मानक के 1.4.3 पैरा में परिकल्पित है कि सत्यनिष्ठा, स्वतंत्रता, विषय निष्ठता और निष्पक्षता, गोपनीयता व क्षमता आचार नीति के मौलिक सिद्धांत है । मानक अपेक्षित करता है कि विभाग के प्रचालन में पारदर्शिता और वैधता को सुनिश्चित करें तथा पूरे संगठन में नैतिक आचरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दें ।

मूल्यों और सिद्धांतों की एक व्यापक विवरणी आचार संहिता में प्रगणित किया गया है और नए लेखापरीक्षा मानक 2017 में आपके संदर्भ के लिए इस कार्यालय के यूआरएल(http://www.agtn.cag.gov.in/AGaudit2) वेबसाइट में अपलोड़ किया गया है ।

भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भी महसूस किया है कि हमारे आधुनिक स्थिति/ वर्तमान पर्यावरण में नैतिकता और मूल्य प्रमुख भूमिका निभाती है तथा इसलिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 को सिविल सेवाओं के नैतिकता और मूल्य की आवश्यकता को सम्मिलित करने के लिए 2014 में संशोधित किया गया, सिविल सेवा के अपेक्षित मानकों और देश के नागरिकों को सेवा की बेहतर सुपुर्दगी और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही बनाएं ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह एक बार और दोहराया जाता है कि इस कार्यालय के सभी कार्मिकों से अपेक्षित है कि वे अपने कर्तव्य को निभाते समय अनुदेशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों को सख्ति से पालन करें ताकि लोक लेखापरीक्षा को भरोसा और विश्वास की दृष्टि से देखा जा सके ।

आर. मोनिका

उप महालेखाकार /प्रशासन